GOVERNOR'S SECRETARIAT,
HIMACHAL PRADESH,
RAJ BHAVAN, SHIMLA-171002.

No: -4-78/81-GS **Dated: -** 29 DEC 2023

From:

Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.

To

The Vice-Chancellor,
Himachal Pradesh University,
Shimla-171005

The Vice-Chancellor,
CSKHPKV, Palampur.

The Vice-Chancellor,
Dr. Yashwant Singh Parmar University
of Horticulture & Forestry,
Nauni, Solan, (H.P)

The Vice-Chancellor,
Atal Medical & Research University,
Nerchowk, Mandi, (H.P)

The Vice-Chancellor,
Sardar Patel University,
Mandi, (H.P)

The Vice-Chancellor,
Himachal Pradesh Technical University,
Hamirpur, (H.P)

Subject: - **Regarding publishing the advertisement for the post of Vice-Chancellor, Harcourt Butler Technical University, Kanpur**.

Sir,

I am directed to enclose herewith a letter no. E-8873/G.S. dated 26.12.2023 along with its enclosures, addressed to the Secretary to Governor, Himachal Pradesh from Dr. Sudhir M. Bobde, Additional Chief Secretary to Governor, Uttar Pradesh, on the subject cited above.

It is, therefore, requested to kindly publish this advertisement in the University web portal and send a compliance report to this Secretariat for kind information of the Hon'ble Governor (Chancellor).

Yours faithfully,

Under Secretary,
Governor's Secretariat,
Himachal Pradesh.

Dr YSP UH&F-Nauni, Solan
O/o the Vice-Chancellor
02 JAN 2024
Diary No. 1896

Encls. As above.

Endst. No. 4-78/81-GS **Dated:**

Copy to the Additional Chief Secretary to Governor, Uttar-Pradesh w.r.t his letter referred to above for information, please.

Under Secretary,
Governor's Secretariat,
Himachal Pradesh.

Upload on website

Professor Incharge
CIC
4/1/2024

VC

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

ई–मेल
E-123/602
आ. क्र.
दिनांक 28/12/23
हिमाचल प्रदेश

संख्या : ई– 8873/जी0एस0
दिनांक : दिसम्बर 26, 2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–8739/2023, दिनांक दिसम्बर 26, 2023 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गये है।

1. ADC
2. OSD
3. US
4. CHH
5. ... Secy.
6. SO
27/12/23

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

27/12/23
LCA
27/12/23

राजभवन, लखनऊ

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या–ई–8739/2023

दिनांक : दिसम्बर 26, 2023

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर(उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति अपने पद को धारण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अथवा 68 (अड़सठ) वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगें जिन्होनें 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा जिसके पास उच्चतर शिक्षा के स्नातक प्राविधिक उपाधि स्तर के संस्थान या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट **"www.upgovernor.gov.in"** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक **22 जनवरी, 2024** तक केवल ऑन लाइन **(On Line)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

26.12.23

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।